न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

अपील सं0 94/2018
आरसीएमएस नं. 2018/00197

1. मोहनी देवी पत्नी मनफूल (नाम कलमजन दिनांक 02.09.2022)
2. भगवानाराम पुत्र
3. समेस्ता देवी पुत्री
4. रूकमा देवी
5. गायत्री

} मनफूल जाति छीम्पा साकिन बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमागनढ।

– रेस्पोडैन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट
विरूद्व निर्णय दिनांक 13.02.2018
द्वारा उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा
प्रकरण संख्या 88/2017 बअनवान सरकार बनाम मनफूल
श्री रामस्वरूप तावणीया अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांक – 16.9.22

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान भूनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर प्रयोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 21 के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया और कथन किया कि ग्राम बड़ोपल बारानी के ख. नं. 1236 रकबा 7.590 है0 वर्तमान में मनफूल पुत्र कालूराम जाति छिम्पा साकिन बड़ोपल के नाम पु0 आ0 दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी सम्वत 2050 में उक्त रकबा आराजी राज व घग्घर के नाम दर्ज है। आवंटन अधिकारी द्वारा बिना किसी जांच के आवंटन आदेश नं0 1708 दिनांक 04.08.2000 को आवंटन किया गया है। यह कि उक्त वर्णित रकबा में से घग्घर का रकबा माननीय उच्च न्यायलाय जोधपुर एस.बी.रिट नं. 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट में भी प्रतिबंधित

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

है तथा वर्णित भूमि घग्घर जल भराव की भूमि है जो राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों में भी प्रतिबंधित भूमि है। उक्त आवंटन नियम विरूद्ध होने के कारण निरस्त किया जावे। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रश्नगत आवंटन को निरस्त किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय में प्रश्नगत भूमि 1983 में टीसी खसरानं. 1216 की 30 बीघा भमि आवंटन हुई थी अपीलाण्टगण के पति व पिता का बतौर टीसी धारक कब्जा काश्त रहा है। भूमि को टीसी से पुख्ता आवंटन करवाने हेतु आवेदन पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 18.03.2000 को यह भूमि अपीलाण्ट के पूर्वज मनफूल पुत्र कालूराम को कीमतन पुख्ता आवंटित की गई थी। जिसकी राशी भी जमा करवादी गई। राजस्व रिकार्ड में भी बतौर पुख्ता आवंटी दर्ज हो चुकी है। अप्रार्थी मनफूल की दिनांक 03.05.2017 को मृत्यु हो चुकी थी जबकि नोटिस दिनांक 19.06.2017 को जारी किया गया एवं उसकी तलबी दिखा कर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई है। जबकि उसकी मृत्यु के बाद उसे नोटिस की तामील की जानी संभव ही नहीं है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.02.2018 को पारित किया गया है जबकि प्रार्थी उस दिन से पहले ही फौत हो चुका था इस प्रकार अपीलाधीन आदेश एक मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश बिना जांच के एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित हुआ होने के कारण निरस्त योग्य है। प्रश्नगत भूमि पुख्ता आवंटन हुई तथा संवत 2049 तक नवीनीकरण होती रही है। अपीलाधीन आदेश अपीलाण्टगण पर प्रभाव नहीं रखता है। अधीनस्थ न्यायालय ने 33 वर्ष पुराने आवंटन को केवल संदेह के आधार पर एवं कयास के आधार पर खारिज किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन कियाकि जमाबंदी सम्वत 2050 में उक्त रकबा आराजी राज व घग्घर के नाम दर्ज है। आवंटन अधिकारी द्वारा बिना किसी जांच के आवंटन आदेश नं0 1708 दिनांक 04.08.2000 को आवंटन किया गया है। यह कि उक्त वर्णित रकबा में से घग्घर का रकबा माननीय उच्च न्यायलाय जोधपुर एस.बी.रिट नं. 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट में भी प्रतिबंधित है तथा वर्णित भूमि घग्घर जल भराव की भूमि है जो राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों में भी प्रतिबंधित भूमि है। उक्त आवंटन नियम विरूद्ध होने के कारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निरस्त किया गया है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट ने राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर प्रयोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 21 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र पेश प्रश्नगत रकबे को घग्घर भराव क्षेत्र को होना बताते हुए प्रश्गनत आवंटन आदेश दिनांक 04.08.2000 को निरस्त करने का निवेदन किया था। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रश्नगत भूमि को संवत 2050 की जमाबंदी में रकबा आराजी राज व घग्घर के नाम दर्ज होने के कारण प्रश्नगत आवंटन को निरस्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट के पूर्वज मनफूल को दिनांक 19.06.2017 को नोटिस जारी किये गये थे जिसमें आगामी तारीख पेशी 29.06.2017 दी गई थी। अपीलाण्ट का कथन है कि मनफूल की दिनांक 03.05.2017 को हो चुकी थी। इसलिए उसको नोटिस करवाया जाना संभव नहीं था, प्रश्नगत तामील विधि सम्मत नहीं है। अपीलाण्ट के उक्त कथनों की पुष्टि अपील में प्रस्तुत मनफूल के मृत्यु प्रमाण पत्र से होती है जिसमें मनफूल की मृत्यु दिनांक 03.05.2017 अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.02.2018 को पारित किया गया है जो एक मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है। इसके अतिरक्त मनफूल का नोटिस किसी दुलाराम नाम के व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया है जिसका अपीलाण्ट से क्या संबंध है यह नोटिस पर अंकित नहीं किया गया है। प्रकरण में यह तथ्य भी सामने आया है कि अधीनस्थ न्यायलाय के निर्णय एवं तहसीलदार के आवेदन में में खसरा नं. 1236 की 7.590 है0 की रिपोर्ट पेश की है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जो दस्तावेज जमाबंदी संवत 2070–2073 ग्राम बड़ोपल में खसरा नं. 1216 की 7.5900 है0 अंकित है एवं अपीलाधीन आदेश में खसरा नं. 1236 की 7.590 है0 भूमि का आवंटन निरस्त किया गया है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश स्पष्ट नहीं की खसरा नं. 1216 है अथवा 1236 है। इस बिन्दू पर भी अपीलाण्ट को सुना जाना उचित होगा। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।
7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.02.2018 निरस्त किया जाता है एवं प्रश्नगत भूमि के राजस्व रिकार्ड की दिनांक 13.02.2018 से पूर्व की स्थिति बहाल की जावे एवं खसरा नं. 1216 है अथवा 1236 के राजस्व रिकार्ड की जांच कर तथा उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 16.9.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/9/21

(करतारसिह पूनीयॉ)
आर.ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)